आदेश से राईट

17/5/17

पत्रावली कैम्प कोर्ट / न्याय आपके दरबार मे प्रस्तुत हुई / प्रार्थी / वादी उपस्थित
विपक्षीगण / प्रतिवादियो के नोटिस तामील होकर प्राप्त संलग्न पत्रावली /
विपक्षीगण प्रतिवादी सं ④ एवं विपक्षी / प्रति. सं. ① का पुत्र मुकेश जो स्वयं प्रार्थी है उपस्थित / विपक्षी सं ②③⑤⑥⑦ को एक-२ कर आवाज लगाई / अनु. / एक्स पार्टी किया जाता है / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र स्वीकार
विपक्षी संख्या ① व ④ को आपत्ति नहीं / प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं निर्णय पृथक
से लिखा जाकर संलग्न किया / पत्रावली फैसल शुमार होकर
नंबर से कम हो /

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मुकेश कुमार प्रार्थी

मुकेश
विपक्षी
सं. 4

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, केम्प कोर्ट – सुवाणा
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 54/2017

1. मुकेश पिता गणपत लाल खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड, भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. गणपत पिता नानुराम खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा।
2. लादु पिता मगनीराम खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा
3. बंशीलाल पिता नानूराम खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा
4. मूलचन्द पिता गणपत खटीक, निवासी खटीक मन्दिर के पास पंचमुखी रोड भीलवाडा
5. दिनेश पिता रामगोपाल बंसल, निवासी–ए–78, विजय सिंह पथिक नगर फलेट वाली बिल्डिंग के पास, भीलवाडा।
6. कल्पना पत्नी चेतन मानसिंहका, निवासी–ए–78, विजय सिंह पथिक नगर फलेट वाली बिल्डिंग के पास, भीलवाडा।
7. शंकर पिता धन्ना माली, निवासी मालीखेडा, खेडाखुट माताजी के मन्दिर के पास नेहरू रोड, भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956
निर्णय

दिनांक 17.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ईरास नई, पटवार क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या नई 178 व पुरानी 168 में स्थित आराजी संख्या 3088/6 रकबा 00–06 बीघा, आराजी संख्या 3088/2 रकबा 01–11–10 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 01–17–10 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रसनगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 व 04 उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 07 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम ईरास नई पटवार क्षेत्र सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा खाता संख्या नई 178 व पुरानी 168 में स्थित आराजी संख्या 3088/6 रकबा 00–06 बीघा, आराजी संख्या 3088/2 रकबा 01–11–10 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 01–17–10 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा